पत्रांक /491/3-4-211.1 एम एस केस/2019
दिनांक......06/07/19........

जारी संख्या/3992
29/5/19

29/5/19

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समस्त Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेशों के अनुपालन एवं भविष्य में अनुपालन हेतु बनाई गई प्रक्रिया के अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 22.05.2019 का कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समस्त Waste Management Rules, 2016 मे पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 मे दिये गये निर्देशों के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 22.05.2019 को बैठक आयोजित की गई। बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

1. सर्वप्रथम बैठक में प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट प्रबन्धन, ई–वेस्ट प्रबन्धन, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई0टी0पी0), संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी0ई0टी0पी0) के संचालन तथा मा0 अधिकरण द्वारा विभिन्न वादों यथा ओ0ए0 सं0–306 / 2016, ओ0ए0 सं0–681 / 2018, ओ0ए0 सं0–48 / 2016, ओ0ए0 सं0–1038 / 2016, ओ0ए0 सं0–673 / 2018, ओ0ए0 सं0–173 / 2018, ओ0ए0 सं0–317 / 2015, ओ0ए0 सं0–200 / 2014 एवं समय–समय पर पारित निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा करते हुए त्रैमासिक अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में प्रस्तुत की जाए। इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0–606 / 2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 में दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 15 शहर अति वायु प्रदूषित, 09 औद्योगिक समूह क्रिटिकली / सिरियसली प्रदूषित एवं 12 प्रमुख नदियों के नदीखण्ड क्रिटिकली प्रदूषित श्रेणी के अन्तर्गत चिन्हित हैं। प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु पर्याप्त सुविधाएं स्थापित नही है तथा प्लास्टिक अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ई–वेस्ट, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट के प्रबन्धन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण की उपरोक्त असन्तोषजनक स्थिति एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन हेतु प्रदेश में प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से प्रभावी अनुश्रवण तन्त्र विकसित किया जाना आवश्यक है जिसके अन्तर्गत समस्त प्रशासनिक स्तरों एवं सम्बन्धित विभागों के स्तर पर मा0 अधिकरण द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन एवं अनुश्रवण का दायित्व मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सौंपा गया है।

CEO (C-7)-Nodal KUN/

प्रमुख सचिव, पर्यावरण द्वारा उपरोक्त समस्त विषयों पर अद्यतन स्थिति एवं अनुपालन हेतु आवश्यक नीति विषयक बिन्दुओं तथा तात्कालिक व दीर्घकालिक कार्यवाही के बिन्दुओं का विवरण दर्शाते हुए प्रस्तुतीकरण किया गया तथा उस की हार्ड कॉपी व साफ्ट कॉपी की प्रति भी उपलब्ध करायी गयी।

C-6

2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा मा0 अधिकरण के आदेशों में सम्मिलित समस्त विषयों का अनुश्रवण करते हुए त्रैमासिक प्रगति मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

06/7/19
(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

उक्त अनुश्रवण कार्य सतत् रूप से किया जाना है, जिसके लिए पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा एक अनुश्रवण पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से प्रकरणवार नियमित एवं अद्यतन प्रगति रिपोर्ट अपलोड की जाएगी, जिसका अनुश्रवण मुख्य सचिव द्वारा मासिक अनुश्रवण बैठकों में किया जाएगा। उपरोक्त अनुश्रवण पोर्टल पर विषयवार अनुपालन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु टेम्प्लेट प्रपत्र उपलब्ध हैं, जिन पर जिलाधिकारियों द्वारा समीक्षा के उपरांत नियमित अद्यतन प्रगति रिपोर्ट अपलोड की जाएगी तथा जिले स्तर से प्राप्त उक्त अनुपालन आख्याओं के आधार पर विभिन्न राज्य स्तरीय समितियों द्वारा अपने विषय से सम्बन्धित राज्य स्तरीय अनुपालन आख्या संकलित की जाएगी जिसके आधार पर मुख्य सचिव

द्वारा प्रदेश स्तर पर अनुपालन की स्थिति एवं ऐसे बिन्दु जिनमें अनुपालन हेतु राज्य सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो, का अनुश्रवण प्रत्येक माह में किया जाएगा।

मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अनुश्रवण पोर्टल पर प्रदर्शित विषयवार टेम्प्लेट्स की प्रति सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करा दी जाए एवं समस्त विभागों द्वारा सम्बन्धित टेम्प्लेट पर सूचनाएं 10 दिन में प्रदर्शित करते हुए प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर प्रस्तुत की जाय। यह भी निर्देशित किया गया है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त पोर्टल एक सप्ताह में तैयार कर क्रियाशील कर दिया जाय।

(कार्यवाही : पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन एवं समस्त सम्बन्धित विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त को अवगत कराया गया कि मा0 अधिकरण के आदेशों में सम्मिलित समस्त विषयों का अनुपालन मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्तर से नियमित रूप से किये जाने हेतु अनुश्रवण प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसके अन्तर्गत निम्न व्यवस्थाएं की गई है–

क– जिले स्तर पर अनुश्रवण की प्रक्रिया : जिले स्तर पर वर्तमान में विभिन्न अनुश्रवण समितियां जैसे जिला पर्यावरण समिति, जिला गंगा सुरक्षा समिति, जिला प्लान्टेशन समिति, जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (बायो मेडिकल वेस्ट), जिला स्तरीय समिति (क्रिटिकली प्रदूषित क्षेत्र) संचालित है। भविष्य में जिला स्तर पर समस्त पर्यावरणीय विषयों एवं प्रदूषण से सम्बन्धित बिन्दुओं पर अनुश्रवण हेतु एक समिति "जिला पर्यावरणीय समिति" रखा जाना उचित होगा। उक्त समिति के अध्यक्ष सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं संयोजक, जिला वन अधिकारी होंगें। पर्यावरण के बिंदुओं पर माह में दो बार समीक्षा की जायेगी। जिला पर्यावरणीय समिति की बैठक कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा निर्धारित समयतालिका के अनुसार माह में एक बार, माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की जायेगी। माह के द्वितीय सप्ताह में सम्बन्धित मण्डल आयुक्त की अध्यक्षता में पर्यावरण के बिंदुओं पर समीक्षा की जायेगी।

"जिला पर्यावरणीय समिति" की उपरोक्त बैठकों के उपरांत जिला पर्यावरण समिति के सदस्य सचिव द्वारा अनुश्रवण पोर्टल पर विषयवार प्रगति टेम्प्लेट प्रपत्र पर प्रस्तुत की जाएगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय समितियों को अनुश्रवण पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिले स्तर पर प्रस्तावित "जिला पर्यावरणीय समिति" के गठन हेतु पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा आदेश जारी किये जाएं।

(कार्यवाही : पर्यावरण विभाग)

ख– राज्य स्तर पर अनुश्रवण की प्रक्रिया :

राज्य स्तर पर वर्तमान में विभिन्न अनुश्रवण समितियां संचालित है जैसे – राज्य स्तरीय एडवाइजरी कमेटी (प्लास्टिक अपशिष्ट नियम), राज्य स्तरीय एडवाइजरी बॉडी (ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन), राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति जैव चिकित्सा अपशिष्ट, वायुगुणता अनुश्रवण समिति, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति (क्रिटिकली प्रदूषित क्षेत्र), रिवर रिजुविनेशन कमेटी एवं गंगा इम्प्लीमेंटेशन कमेटी । उक्त राज्य स्तरीय समितियों का पुनर्गठन मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन का अनुमोदन प्राप्त कर शीघ्र करा लिया जाए तथा इन समितियों की अनुश्रवण बैठक माह के तृतीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में विस्तृत प्लान कार्ययोजना तैयार कर के उस की कार्य की प्रगति, समय सारिणी व बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे। भारत सरकार को प्रेषित वायु प्रदूषण Action Plan के अनुसार NCAP (National Clean Air Programme) नगर विकास विभाग अग्रेतर कार्यवाही करेगा।

जिला पर्यावरणीय समिति द्वारा प्रेषित प्रगति आख्याओं का अध्ययन विषयवार सम्बन्धित राज्य स्तरीय समितियों द्वारा करते हुए ऐसे बिन्दु पृथक किये जाएंगें जिन पर अनुपालन हेतु राज्य स्तरीय हस्तक्षेप आवश्यक होगा एवं ऐसे समस्त बिन्दुओं को मुख्य सचिव की अनुश्रवण बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

ग– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्तर पर अनुश्रवण की प्रक्रिया : मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रत्येक माह के चतुर्थ सप्ताह में मा0 अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। उक्त बैठक में राज्य स्तरीय समितियों द्वारा विषयवार चिन्हित बिन्दुओं, जिन पर राज्य स्तर से हस्तक्षेप आवश्यक है, प्रस्तुत किये जाएंगें।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित अनुश्रवण पोर्टल (www.upecp.in) का संचालन यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जाए तथा अनुश्रवण पोर्टल पर निर्धारित समय–सीमा के अनुसार समस्त स्तरों से अनुश्रवण बैठकें आयोजित कर सूचनाएं प्रस्तुत किये जाने हेतु शासनादेश जारी किया जाए।

(कार्यवाही : पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन एवं समस्त सम्बन्धित विभाग)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग–2
संख्या– N.G.T.227 /55–पर्या–2–2019–01(रिट)/2019
लखनऊ : दिनांक : 27 मई, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,/सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/ग्राम्य विकास/पंचायतीराज/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा/आवास एवं शहरी नियोजन/सिंचाई/लोक निर्माण/गृह/कृषि/परिवहन/ उद्यान/खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, लघु सिंचाई भूजल विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–
4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– समस्त मण्डलायुक्त।
2– समस्त जिलाधिकारी।
3– समस्त वन अधिकारी।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।